न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

राजपुर थाना काण्ड सं. 149/2019

सुनील कुमार गुप्ता बनाम बिहार सरकार

19.09.2020 आवेदक सुनील कुमार गुप्ता की ओर से दिनांक 29.01.2020 को दाखिल मुक्ति आवेदन वास्ते जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने हेतु सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक मैजिक भान रजि.नं. बी.आर. 28पी.ए.–4615 का स्वामी है और सभी कागजात आवेदक के नाम से है तथा उक्त जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 को राजपुर थाना परिसर में खुले आकाश के नीचे रखा गया है जिससे आवेदक को अपूर्णनीय क्षति हो रही है । उक्त जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 को आवेदक द्वारा नासरीगंज स्थित इन्टर नेशनल स्कूल को सौपा गया है जिससे स्कूल के छोटे बच्चे स्कूल आते जाते है। वास्तविकता यह है कि उक्त जब्त भान से कोई उत्पाद संबंधी मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया था बल्कि भान के चालक द्वारा दयाल मुर्गी फार्म के पास भान को खड़ा कर शौच करने हेतु चला गया और तभी उक्त मौजिक भान को राजपुर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्त वाहनों के मुक्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किये गये है जिसमें यह कहा गया है कि किसी वाहन को अनिश्चित काल तक पुलिस परिसर में नहीं रखा जा सकता है, उसे वाहन स्वामी के पक्ष में मुक्त कर दिया जाना चाहिए। आवेदक उक्त जब्त मैजिक भान का एकमात्र स्वामी है और उसके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं है और इस संबंध में कोई विवाद भी नहीं है।पुलिस द्वारा आवेदक के मैजिक भान को ही सिर्फ जब्त नहीं किया गया है बल्कि आवेदक द्वारा रखे गये 8400/रूपया को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, उक्त रूपया को भी मुक्त करने की कृपा की जाए। आवेदक इस आशय का वचन बद्धता देने हेतु तैयार है कि जब कभी भी उक्त जब्त मैजिक भान एवं रूपया की आवश्यकता विचारण के दौरान न्यायालय को होगी, आवेदक रूपया एवं जब्त मैजिक भान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः निवेदन है कि जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 एवं जब्त रूपया 8400/को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी. आर.28पी.ए.–4615 एवं रूपया 8400/को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने के संबंध में विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक राम किशोर सिंह स.अ.नि. राजपुर के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 17.11.2019 को सुबह लगभग 04.00बजे सूचक को गुप्त सूचना मिली कि दयालगंज बाल पर चौधरी चरण सिंह कॉलेज के पूरब खाली पड़े मुर्गी फार्म में मैजिक गाड़ी से शराब ला कर उतारा जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये सूचक निर्देशानुसार सशस्त्र बल के साथ समय करीब 04.30 बजे जैसे ही दयालगंज बाल पर चौधरी चरण सिंह कॉलेज के पूरब खली पड़े मुर्गी फार्म के पास पहुंचा, वहां पर एक उजले रंग का मैजिक गाड़ी खड़ा था और उसी के पास से दो व्यक्ति पुलिस गाड़ी को आता देख भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल के सहयोग से तत्काल पकड़ लिया गया। तत्पश्चात पकड़े हुये चारों व्यक्ति एवं मैजिक गाड़ी एवं खाली पड़े मुर्गी फार्म की तलाशी लेने हेतु आस पास कोई व्यक्ति नहीं रहने के कारण साथ के सिपाही राकेश यादव पिता बैधनाथ महतो एवं सिपाही देवेन्द्र बैठा पिता महेन्द्र बैठा के समक्ष जामा तलाशी के नियमों का पालन करते हुये स्कूल मैजिक भान नं. बी.आर.26 पी.ए.–4615 एवं मुर्गी फार्म की तलाशी लेने पर मैजिक भान में एक पेटी शराब 180एम.एल. का 48पीस तथा मुर्गी फार्म के अन्दर पूर्वी दिवाल के पास दो पेटी विदेशी शराब 48x2=96पीस HIAT विदेशी शराब, उजले रंग के प्लास्टीक के बोरा में कुल 144पीस प्रत्येक 180एम.एल. का कुल 288पीस HITAT विदेशी शराब तथा मुर्गी फार्म के पश्चिमी कोने के पास मिट्टी के अन्दर गड्ढे में छिपाकर रखा हुआ इम्पेरियल ब्लू 375 एम.एल. का 16पीस तथा 750एम.एल. का दो पीस बरामद किया गया। उपरोक्त चारों में से सुनिल कुमार के पास से 8,400रूपया एवं रंजन कुमार के पास से काले रंग का जिओ मोबाईल, कमलेश साह के पास से रेडमी टच स्क्रीन मोबाईल एवं शिव कुमार के पास से सैमसंग मोबाईल तथा मैजिक भान नं. बी.आर.26पी.ए.–4615 के साथ उपरोक्त सभी प्राप्त प्रदर्श का विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया जिसपर दोनों गवाहों के द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया। पकड़ाये चारों व्यक्ति से पूछने पर उन्होंने अपना–अपना नाम क्रमशः सुनिल कुमार गुप्ता पिता ललन साह, कमलेश साह पिता जयुसाह दोनों सा. मौना थाना नासरीगंज जिला रोहतास तथा रंजन कुमार पिता शिव कुमार सिंह

लगातार

19.09.2020 एवं शिव कुमार सिंह पिता चन्द्रीका सिंह दोनों सा. दयालगंज थाना राजपुर जिला रोहतास बतलाये जिन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा जब्ती सूची की एक–एक प्रति उपरोक्त पकड़ाये व्यक्ति को हस्तगत कराया गया। शराब के संबंध में उपरोक्त चारों से पूछने पर सुनिल गुप्ता द्वारा बताया गया कि वह कमलेश के साथ अकोढ़ीगोला से शराब लाया था तथा रंजन को बेचने के लिए दिया था जिसे दोनों बाप बेटा मिलकर चोरी छिपे बेच कर उसे पैसा देते है। अकोढ़ीगोला वाले व्यक्ति का नाम पता पूछने पर बताया कि उसका नाम वह नहीं जानता है, उसका मोबाईल नं. 7563034700 है, लेकिनवह रास्ता में कहीं गिर गया है। तत्पश्चात चारों व्यक्तियों को जब्ती सूची के साथ गिरफ्तार कर थाना लाया गया जिसके आधार पर आरोपित करते हुये राजपुर थाना काण्ड सं.149/2019 धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया।

आदेश के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन में जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 को मुक्त किये जाने के साथ–साथ इस वाद में जब्त रूपया 8,400/को भी आवेदक के पक्ष में मुक्त करने हेतु प्रार्थना किया गया है। इस प्रकार एक ही आवेदन में दो प्रार्थना किये गये है तथा इस संबंध में कोई न्याय शुल्क पृथक रूप से दाखिल नहीं किया गया है साथ ही जब्त रूपया के मुक्त किये जाने के संबंध में पुलिस द्वारा कोई प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष समर्पित नहीं किया गया है कि उक्त जब्त रूपया का स्वामी कौन है। इस प्रकार आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है जब्त रूपया के मुक्ति हेतु पुनः नवीन आवेदन दाखिल करें एवं पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त होने पर के पश्चात कोई प्रभाावकारी आदेश पारित किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिनमें परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पंजीकरण/स्वामित्व प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ Tata AIG इंश्योरेन्स कं.लि. का बीमा संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति है । दाखिल सभी कागजातों की छाया प्रति के अवलोकन करने से यह विदित होता है कि जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 के स्वामी आवेदक सुनील कुमार गुप्ता पिता ललन साह सा. मौना थाना नासरीगंज जिला रोहतास है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 से एक पेटी में रखा 180एम.एल. का 48पीस HIAT विदेशी शराब घटना के दिन व समय पर घटना स्थल से बरामद किया गया था। इस संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध पुलिस प्रतिवेदन एवं समाहर्त्ता विधि का अधिहरण संबंधी प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 के स्वामी आवेदक सुनिल कुमार गुप्ता पिता ललन साह सा. मौना थाना नासरीगंज जिला रोहतास है तथा इनके मैजिक भान जिसका रजि. नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 तथा चेचीस सं. इंजन सं. है से अवैध शराब बरामद किया गया था जिसे राजपुर थाना काण्ड सं. 149/2019 में धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत जब्त कर थाना परिसर में रखा गया है और अधिहरण की कार्यवाही हेतु ज्ञापांक सं. 1817(ए.)/2019 दिनांक 08.12.2019 द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है तथा रोहतास समाहरणालय सासाराम जिला विधि प्रशाखा के पत्रांक 1588/विधि के परिशीलन करने से यह विदित होता है कि उक्त जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर.28पी.ए.–4615 के विरूद्ध उत्पाद अधिहरण वाद सं. 41/2020 सरकार बनाम सुनिल कुमार गुप्ता पंजीकृत है। इस प्रकार राजसात की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण जब्त मैजिक भान रजि.नं. बी.आर. 28पी.ए.–4615 को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है और आवेदक की ओर से दाखिल जब्त वाहन को मुक्त करने का आवेदन दिनांक 29.01.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम